झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015

विषय–सूची

धारा।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम–05, 2006) की धारा–18 में संशोधन।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) में संशोधन हेतु विधेयक।

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः–

(i) यह अधिनियम झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(ii) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

(iii) यह दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से प्रवृत होगा।

2. धारा 18 में संशोधनः–

(क) उपधारा (3) मे शब्द 'प्रयुक्त किया जा सकता है' के पश्चात शब्द 'या उपभोग किया गया' विलोपित किया जायेगा।

(ख) उपधारा (4) की कंडिका (ii) मे विद्यमान प्रावधान ''केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (1956 का 74) की धारा–8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अन्तर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य के कम में बिक्रय'' के पश्चात् एक परन्तुक निम्नवत् जोड़ा जायेगाः–

'परन्तु यह कि अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में बिक्री की जाने की स्थिति में क्रय पर अनुमान्य इनपुट टैक्स क्रेडिट केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अंतर्गत भुगतेय केन्द्रीय बिक्री कर की दर की सीमा तक ही अनुमत/अनुमान्य किया जायेगा।'

(ग) उपधारा (4) की कंडिका (iii) मे, शब्द समूह 'कच्चे माल के रूप में उपयोग' के पश्चात् शब्द 'और' विलोपित किया जायेगा।

(घ) उपधारा (4) की कंडिका (iii) मे, विद्यमान प्रावधान के पश्चात् एक परन्तुक निम्नवत् जोड़ा जायेगा :–

'परन्तु यह कि अंतर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में बिक्री की जाने की स्थिति में क्रय पर अनुमान्य इनपुट टैक्स क्रेडिट केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अंतर्गत भुगतेय केन्द्रीय बिक्री कर की दर की सीमा तक ही अनुमत/अनुमान्य किया जायेगा।'

(ड़) विद्यमान उपधारा (8) में विद्यमान कंडिका (ix) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

(ix) अंतर्राज्य भंडार अंतरण या राज्य के बाहर बिक्री के लिए वस्तु के विनिर्माण या प्रोसेसिंग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त माल।

(च) विद्यमान उपधारा (8) में कंडिका (xvii) मे, एक नई कंडिका (xviii) निम्नवत् जोड़ी जायेगी :–

(xviii) 'विनिर्माण प्रक्रिया के क्रम में उपभोग किये गये या जल गये मालों के संदर्भ में जो किसी वस्तु या अन्य रूप मे उत्पादित माल मे हस्तांतरित नहीं हो सके हो या जो अस्तित्व में नहीं रहा हो।'

(छ) विद्यमान उपधारा (10) में शब्द एवं विराम चिन्ह 'जिसमे माल का उपयोग किया गया हो', के पश्चात् शब्द 'उपभोग किया गया' को विलोपित किया जायेगा।

***

उदेश्य एवं हेतु

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की कतिपय प्रावधानों यथा इनुपट टैक्स केडिट के कियान्वयन में अनुभूत व्यवहारिक कठिनाईयों एवं प्रशासनिक उदेश्यों की पूर्ति हेतु झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा–18 में संशोधन किया जाना आवश्यक है ताकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत इनपुट टैक्स केडिट के प्रावधानों के कियान्वयन में सहूलियत हो एवं उक्त मद मे राजस्व की वृद्धि तथा विधिक समस्याओं का निराकरण हो।

एतदर्थ झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 के माध्यम से झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(रघुवर दास)
भार साधक सदस्य

वित्तीय संलेख

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रावधानों में अनुभूत व्यवहारिक कठिनाईयों के निराकरण हेतु झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा–18 में संशोधन आवश्यक है। उक्त संशोधनों से इनपुट टैक्स क्रेडिट के कर–प्रशासन एवं अधिनियम के प्रावधानों के कियान्वयन मे सहुलियत होगी जिससे विभाग के राजस्व में अभिवृद्धि के साथ–साथ विधिक समस्याओं का निराकरण होगा।

प्रस्तावित झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(रघुवर दास)
भार साधक सदस्य

झा०रा०मु०राँची (विधि) 20(A)--170--26-8-2015 ।